एस. एस. सारोन और स्नेह पराशर जे. जे. के समक्ष

सुनील याचिकाकर्ता

बनाम

पर्यावरण और वन और वन मंत्रालय

अन्य-प्रतिवादी

2008 के सी. डब्ल्यू. पी. No.20032 में 2016 का सीएम No.5110

22 फरवरी, 2017

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 32 और 226- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश II नियम 2—धारा 11 (रेस जुडिकाटा) और 141- ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका के हस्तांतरण के लिए आवेदन-एक बार जब ट्रिब्यूनल में रिट याचिका के हस्तांतरण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था या वापस ले लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक रिट याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष आंदोलन करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था और ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका को भी खारिज कर दिया गया था-सी. पी. सी. के प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेट, S.141 और आदेश II नियम 2 उसी आधार पर या किसी अन्य आधार पर स्थानांतरण के लिए किसी भी बाद के आवेदन पर लागू होंगे-यह तर्क कि इन प्रावधानों की तकनीकीताएँ पी. आई. एल. पर लागू नहीं होती हैं, तब स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब आवेदक को उसी पी. आई. एल. में पहले के आदेशों का सामना करना पड़ा था-सार्वजनिक नीति पर आधारित नियम-केवल पहले के आदेशों को वापस लेने या संशोधित करने के लिए है।

अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है।इसलिए, इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या सी. पी. सी. की खंड 141 के साथ पठित आदेश II नियम 2 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही पर लागू होगा।इस संबंध में रिट अधिकार क्षेत्र नियमों के नियम 32 में परिवर्तन किया जा सकता है, जो निम्नानुसार हैः

"32. उन सभी मामलों में जिनके लिए इन नियमों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान उत्परिवर्तन लागू होंगे, जहां तक वे इन नियमों के साथ असंगत नहीं हैं।"

(पैरा 32)

आगे कहा कि उपरोक्त नियम 32 के संदर्भ में, उन सभी मामलों में जिनके लिए रिट अधिकार क्षेत्र नियमों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सी. पी. सी. का प्रावधान उत्परिवर्तन को लागू करना है क्योंकि वे उक्त नियमों के लिए असंगत नहीं हैं। मुकदमा वापस लेने के संबंध में , रिट अधिकार क्षेत्र नियमों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(पैरा 33)

आगे कहा कि उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 141 के स्पष्टीकरण के आधार पर चूंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही को "कार्यवाही" अभिव्यक्ति से बाहर रखा गया है, इसलिए सी. पी. सी. का अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उच्च न्यायालय ने स्वयं अनुच्छेद 226 के तहत सी. पी. सी. का प्रावधान लागू नहीं किया हो।वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने सी. पी. सी. की कार्यवाही को रिट अधिकार क्षेत्र नियमों के नियम 32 के संदर्भ में लागू किया है।इसलिए, यदि आवेदकों/याचिकाकर्ताओं ने

पहले अपने आवेदन वापस लेकर मामलों को विद्वत न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के अपने दावे को छोड़ दिया था, तो एक समन्वित पीठ द्वारा आवेदन वापस लेने के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करने के बाद वे इसे दोहराने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और इस पर जनहित याचिका (पी. आई. एल.) में विचार किया जाना है जो लंबित है।यह तथ्य कि पहले दावे को छोड़ने का सिद्धांत जनहित याचिका या जनहित के लिए दायर याचिका के संबंध में लागू नहीं होता है, जो कि निर्णय की प्रतिकूल प्रणाली नहीं है, अप्रासंगिक है क्योंकि पहले के आवेदन को केवल एक जनहित याचिका में एक समन्वित पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

(पैरा 35)

आगे अभिनिर्धारित किया कि जिन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि विद्वत न्यायाधिकरण को मामलों के हस्तांतरण के लिए आवेदनों को पहले एक समन्वित पीठ द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था, उन्हें फिर से सक्रिय नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब प्रतिवादी ने इस पर गंभीरता से आपत्ति जताई है और अनुरोध किया है कि पहले आवेदन को खारिज करने के बाद दूसरे आवेदन की रखरखाव के लिए एक बाधा है।इसलिए, हम आवेदनों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 41)

निवेदिता शर्मा, अधिवक्ता

आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के लिए।

अरुण गोसाई, केंद्र सरकार के वकील

2008 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 20032 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1 और 7 के लिए और 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 13594 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 2 और 4 के लिए।

लोकेश सिंहल, ए. ए. जी., हरियाणा

2008 और 608 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 20032 में प्रतिवादी संख्या 4 के लिए

2009 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13594 में प्रतिवादी सं. 1 के लिए।

आर. एस. राय, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव आनंद, अधिवक्ता

2008 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 20032 में प्रतिवादी सं. 3 के लिए।एम. एस. सिद्धू, अधिवक्ता

2008 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 20032 में प्रतिवादी सं. 5 के लिए।

एस. एस. सारोन, जे.

(1) वर्तमान नागरिक विविध आवेदन संबंधित याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए हैं अर्थात सुनील सिंह बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय (2008 का सीडब्ल्यूपी संख्या 20032) और कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13594)। उक्त दोनों सिविल विविध आवेदनों में दोनों मामलों को स्थानांतरित करने के लिए एक अनुरोध किया गया है, अर्थात इस न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं को नई दिल्ली में विद्वान राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ('न्यायाधिकरण'-संक्षेप में) या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जो भी आदेश उचित समझा जाए, उसे पारित किया जा सकता है।

(2) आवेदकों/याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले विचाराधीनता रहने के दौरान, संसद ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 ('अधिनियम'-संक्षेप में) लागू किया और इस अधिनियम के तहत विद्वान

न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश कर रहे हैं।वर्तमान मामले जैसे मामले इसके अधिकार क्षेत्र में हैं और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अधिक उचित रूप से निपटाए जाएंगे।वास्तव में, विद्वत न्यायाधिकरण पहले से ही भूजल, नदी के पानी के क्षरण और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य मामलों से संबंधित कई मामलों पर विचार कर रहा है।

(3) आवेदकों/याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता सुश्री निवेदिता शर्मा प्रस्तुत करती हैं कि **एस.पी. मुथुरमन बनाम भारत संघ, ओ.ए. 2015 का नंबर 37 (एम.ए. 219, 293 और 294 ऑफ 2015) और मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ओ.ए. 2014 का क्रमांक 213 (2014 का एम.ए. 755 और 2015 का एम.ए. 177),** के मामले में हाल के एक फैसले में, विद्वान न्यायाधिकरण ने उसे हस्तांतरित किए गए एक मामले में, दिनांक 07.07.2015 के आदेश के संदर्भ में, दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना के प्रभाव पर विचार किया, जिसके अनुसरण में 'पर्यावरण मंजूरी विनियम, 2006' बनाए गए थे, जिसके लिए शुरू होने से पहले 'पर्यावरण मंजूरी' प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।उक्त निर्णय में, विद्वान न्यायाधिकरण के पहले के निर्णय का संदर्भ दिया गया था **फॉरवर्ड फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, ओ. ए. 2014 का No.222**,07.05.2015 पर तय किया गया जहां परियोजना प्रस्तावक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना, गीली भूमि और राजकालुवेस (तूफानी पानी की नालियों) पर निर्माण को बढ़ाया गया था, जिससे यह प्रभावित हुआ था।विद्वान न्यायाधिकरण ने एक विशेष समिति की नियुक्ति करते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उल्लेख किया और परियोजना प्रस्तावकों को किसी भी तीसरे पक्ष के हितों को बनाने से प्रतिबंधित कर दिया।विद्वान न्यायाधिकरण ने परियोजना प्रस्तावक पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को खराब करने और नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया और इसके लिए समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

(4) इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान एक उपयुक्त मामला है जहां यह माननीय न्यायाधीशालय न्यायाधीश के हित में मामलों को विद्वान न्यायाधीशाधिकरण को स्थानांतरित कर सकता है।

(5) जवाब डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड (सुनील सिंह के मामले में प्रतिवादी संख्या 3) (ऊपर) द्वारा दायर किया गया है, जिसे आज पारित एक अलग आदेश द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है।

(6) उत्तर के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के हस्तांतरण के लिए आवेदन वर्तमान प्रपत्र में बनाए रखने योग्य नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम को आईडी1 पर अधिसूचित किया गया था और वर्तमान मामला वर्ष 2008 से इस न्यायालय में लंबित है और अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना से पहले और बाद में समय-समय पर विभिन्न अंतरिम निर्देश पारित किए गए हैं। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए अपनी प्रार्थना के लिए विभिन्न अंतरिम आदेशों का लाभ उठाता रहा। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया।अंतरिम आदेशों के अनुपालन की दिशा में प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थिति रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद याचिका को 20.05.2014 पर स्वीकार किया गया था।यह केवल वर्तमान चरण में मंच खोज और मामले पर फिर से विचार आदेश के लिए था कि मामलों को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित आदेश के लिए आवेदन दायर किया गया है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन केवल इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है।

(7) यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर और जानबूझकर 2015 के पहले के सिविल विविध आवेदन, यानी सी. एम. No.12053 को दायर करने का खुलासा नहीं किया था, उसी और इसी तरह के अनुरोध के साथ रिट याचिका को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए।उपरोक्त सिविल विविध आवेदन (2015 का सी. एम. No.12053) को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।यह केवल पहले के सिविल विविध आवेदन, यानी सी. एम. को छिपाने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा की गई आपत्ति पर था। 2015 का No.12053, जिसे वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था कि आवेदक ने उक्त आवेदन को रिकॉर्ड के रूप में प्रकट किया था।एक समान नागरिक विविध आवेदन, कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (2009 का सी. डब्ल्यू. पी. No.13594) (ऊपर) में दायर किया गया था जिसमें डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड (सुनील सिंह के मामले में प्रतिवादी संख्या 3) एक पक्ष नहीं है, लेकिन दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की गई थी।हालांकि, माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर स्थानांतरण याचिका केवल वर्तमान मामले में थी, यानी सुनील सिंह के मामले में, और ऐसा कोई स्थानांतरण आवेदन दूसरे मामले में दायर नहीं किया गया था, यानी कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (उपरोक्त) में, जिसमें स्थानांतरण के लिए आवेदन बिना शर्त वापस ले लिया गया था।इससे यह कहा गया है कि यह बहुत स्पष्ट था कि दूसरे मामले में आवेदन को वापस लेना एक स्पष्ट न्यायिक स्थिति थी क्योंकि दूसरे मामले में ऐसा कोई स्थानांतरण आवेदन दायर नहीं किया गया था, यानी कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का मामला (उपरोक्त), और न ही आदेश को वापस लिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वापस लेने के आदेश को दरकिनार नहीं किया और केवल उचित निवारण के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता दी।यह कहा गया है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता को एक नया आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं देता है जो न्यायपालिका के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।इसके अलावा, जब उक्त स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी गई थी, तो अदालत ने केवल "उचित निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने" की स्वतंत्रता दी थी और याचिका को स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था, जैसा कि अनुरोध किया गया था।यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता-सुनील सिंह ने उक्त स्थानांतरण याचिका को संलग्न नहीं किया है; हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन ने याचिकाकर्ता को याचिका के हस्तांतरण के लिए एक नई याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी, जैसा कि वर्तमान आवेदन में अनुरोध किया गया था और इसलिए, वर्तमान आवेदन विचारणीय नहीं है।यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा मुख्य दीवानी रिट याचिका में मुद्दे की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है।अधिनियम के तहत प्रदान की गई अधिकार क्षेत्र की एकमात्र बाधा अधिनियम की खंड 29 के संदर्भ में है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने के रूप में एक रिट याचिका का हस्तांतरण, जो प्रस्तुत किया गया है, टिकाऊ नहीं है।

(8) यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामला गुड़गांव के डी. एल. एफ. साइबर सिटी में उप-मिट्टी/भूजल के विनियमन तक ही सीमित है और उक्त दायरा विशेष रूप से दिनांकित 17.12.2008 आदेश में दर्ज किया गया था और उसके अनुसरण में, इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देशों सहित विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं।समय-समय पर पारित किए गए कुछ निर्देशों का प्रतिवादी द्वारा विभिन्न स्थिति रिपोर्टों और कई अवैध बोरवेल सुनील सिंह बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय के माध्यम से विधिवत पालन किया गया था। जिनका उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए पानी निकालने के लिए किया जा रहा था, उन्हें सील कर दिया गया और अंत में प्रतिवादी को यह दिखाने के लिए एक समेकित शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा गया कि भविष्य में पीने के पानी और निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक पानी की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाएगा जो दिनांक 21.08.2012 के आदेश से स्पष्ट था।इसके बाद, यह कहा जाता है कि स्थिति रिपोर्ट के रूप में विभिन्न शपथ पत्र दायर किए गए थे और इस न्यायालय ने उसके बाद विशेष रूप से कार्य को पूरा करने के लिए दी गई अनुसूची का सख्ती से पालन करने के लिए विभिन्न निर्देश पारित किए थे, जैसा कि शपथ पत्र में दर्ज किया गया था ताकि भूमिगत जल की समस्या का समाधान किया जा सके।यह भी उल्लेख करने के लिए प्रासंगिक बताया गया है कि इसी तरह का एक मामला, अर्थात 2014 के सी. डब्ल्यू. पी. No.23839 में मुकेश शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया था जिसमें इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था।प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उक्त याचिका अभी भी लंबित है और यह बोरवेल खोदने की अनुमति लेने से संबंधित है क्योंकि पानी की आपूर्ति का कोई अन्य स्रोत नहीं था।

(9) श्री लोकेश सिंहल, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा ने सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में प्रतिवादी संख्या 4 के लिए और कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (ऊपर) में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रस्तुत किया कि याचिकाओं को 20.05.2014 पर स्वीकार किया गया था और उस समय अधिनियम को अधिसूचित किया गया था, जिसे 02.06.2010 पर अधिसूचित किया गया था।उस स्तर पर, मामले को विद्वत न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए कुछ भी आग्रह नहीं किया गया था।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले में कई अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं और अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है।(10) श्री अरुण गोसाईं, सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में प्रतिवादी संख्या 1 और 7 के लिए और कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (ऊपर) में प्रतिवादी संख्या 2 और 4 के लिए पेश होने वाले अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए मूल निर्देशों उत्तरदाताओं के लिए द्वारा पालन किया गया है जिनके लिए वह पेश हो रहे हैं और मामले के तथ्य और परिस्थितियां मामलों को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने की कोई गारंटी नहीं देते हैं।

(11) हमने इस मामले और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

(12) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता-सुनील सिंह (2008 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 20032 में) ने पहले 2015 का सी. एम. <आई. डी. 1 दायर किया था जिसमें वर्तमान मामले को इस न्यायालय से विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।2015 का इसी तरह का सी. एम. <आई. डी. 1 याचिकाकर्ता-कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (2009 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 13594 में) द्वारा उक्त मामले को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए दायर किया गया था।

(13) दोनों सिविल विविध आवेदनों को एक समान आदेश पारित करके 04.11.2015 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था, जो निम्नानुसार हैः-

"वर्तमानःसुश्री निवेदिता शर्मा, अधिवक्ता

आवेदक-याचिकाकर्ता के लिए।

विद्वान वकील प्रार्थना करते हैं कि आवेदक-याचिकाकर्ता को आवेदन वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।

तदनुसार, आवेदन को वापस लिया गया बताकर खारिज कर दिया जाता है।"

(14) याचिकाकर्ता-सुनील सिंह ने वर्तमान मामले को न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ 'सुनील सिंह बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य' शीर्षक से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) दायर की।सर्वोच्च न्यायालय ने 06.04.2016 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है और याचिकाकर्ता को उचित निवारण के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी है। स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि इसके लिए अनुरोध की गई स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है।"

(15) दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता इस स्थिति को स्वीकार करते हैं कि कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई स्थानांतरण याचिका दायर नहीं की गई थी।हालाँकि, आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में उचित निवारण के लिए फिर से इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी और कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (ऊपर) में भी यही आग्रह किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिस्थितियों में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, आवेदक/याचिकाकर्ता एक बार फिर इस न्यायालय से संपर्क कर रहे हैं ताकि मामलों को विद्वान न्यायाधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक आदेश दिए जा सकें।

(16) यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत न्यायाधिकरण एक विशेष निकाय है जो तत्काल रिट याचिकाओं में उठाए गए सभी मुद्दों से निपटने के लिए विधिवत सुसज्जित है।इसलिए, यह चीजों की योग्यता में होगा कि वर्तमान मामलों को स्थानांतरित किया जाता है और निर्णय के लिए विद्वान न्यायाधिकरण को भेजा जाता है।

(17) सिविल विविध आवेदनों में मुख्य रूप से जिस मुद्दे पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या मामले विद्वत न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

(18) यह विवाद में नहीं है कि पहले इसी तरह के नागरिक विविध आवेदन इस न्यायालय में दायर किए गए थे जिन्हें 04.11.2015 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, 2016 स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 428 सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता को उचित निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के लिए अनुरोध किया गया था।

(19) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील सिंह के मामले (उपरोक्त) में याचिकाकर्ता को फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी और इसलिए, याचिकाकर्ता को पिछली याचिका को वापस लेने की अनुमति देने वाले 04.11.2015 के आदेश को न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा।हालाँकि, सुनील सिंह के मामले (उपरोक्त) में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एकमात्र स्वतंत्रता दी थी, वह उचित निवारण के लिए इस न्यायालय से संपर्क करना था और याचिका को स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था जैसा कि अनुरोध किया गया था।सुनील सिंह के मामले (उपरोक्त) में प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2016 स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 428 की एक प्रति प्रस्तुत की है और उसमें 'तिथियों और घटनाओं की सूची' में किए गए कथनों का उल्लेख किया है, जिसमें यह अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने याचिका को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, लेकिन न्यायालय इच्छुक नहीं था और याचिका के हस्तांतरण के लिए सहमत नहीं था और याचिकाकर्ता स्थानांतरण के अपने आवेदन को वापस लेने के लिए विवश था।यह आगे कहा गया है कि स्थानांतरण के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दिनांक 04.11.2015 के आदेश द्वारा स्थानांतरण के आवेदन को वापस लेने के लिए विवश किया।सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत द्वारा पारित दिनांकित 04.11.2015 आदेश को रिकॉर्ड पर रखने के बजाय, याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका में कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (ऊपर) में पारित दिनांकित 04.11.2015 आदेश को संलग्नक P8 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा।इसलिए, यदि याचिकाकर्ता ने सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में पारित दिनांक 1 के आदेश को रिकॉर्ड पर रखा होता, तो यह स्पष्ट होता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा होता कि सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में, मामले को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन को वापस लिया गया था।अन्यथा भी, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुनील सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को उच्चतम न्यायालय के अभिलेख में नहीं रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि उक्त आदेश पर कभी भी हमला नहीं किया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्थानांतरण याचिका इस न्यायालय में दायर स्थानांतरण आवेदन से स्वतंत्र थी।इसके अलावा, 614 तक 04.11.2015 का आदेश पारित किया गया था। इस न्यायालय में सुनील सिंह के मामले (उपर्युक्त) को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर रखा गया था, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया होगा कि कोई बाधा नहीं थी जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनील सिंह द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में उल्लेख किया गया था और याचिकाकर्ता ने कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रिकॉर्ड में रखते हुए और फिर गलत तरीके से यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण के लिए आवेदन वापस लेने के लिए विवश किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया।

(20) हालाँकि, आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मामलों के हस्तांतरण के लिए आवेदन वापस लेने के दोनों आदेश समान थे।उच्चतम न्यायालय की पंजीकरण ने इस संबंध में आपत्ति जताई थी।यह सूचित किया गया कि दोनों मामले समान और जुड़े हुए थे और एक ही आदेश पारित किए गए थे।

(21) सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह याचिकाकर्ता-सुनील सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी रिकॉर्ड से साबित नहीं होता है।इसलिए, सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, पहले के आवेदनों को खारिज कर दिया गया है, दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को मामले को फिर से सक्रिय करने से रोक दिया गया है, खासकर जब सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में पारित आदेश को सर्वोच्च न्यायालय से दबा दिया गया था।इस प्रकार, मामले के हस्तांतरण के लिए दूसरा आवेदन कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है और रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है और यह मामले को विद्वान न्यायाधिकरण को स्थानांतरित करने के दावे को परित्याग और परित्याग के बराबर है और इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता ('सी. पी. सी.'-संक्षेप में) की खंड 141 के साथ पठित आदेश II नियम 2 और रिट अधिकार क्षेत्र (पंजाब और हरियाणा) नियम, 1976 ('रिट अधिकार क्षेत्र नियम'-संक्षेप में) के नियम 32 के प्रावधानों द्वारा वर्जित है, जिसमें यह प्रावधान है कि उन सभी मामलों में जिनके लिए नियमों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सी. पी. सी. के प्रावधान उत्परिवर्तन को लागू करेंगे, जहां तक वे नियमों के अनुरूप नहीं हैं।

(22) यह स्पष्ट है और वास्तव में इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि हस्तांतरण के लिए आवेदनों को वापस लेने के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं थी जिसका उल्लेख दिनांक 04.11.2015 के आदेश में किया गया है।हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता सुनील सिंह द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में 'तिथियों और घटनाओं की सूची' में, यह निम्नानुसार कहा गया हैः

अगस्त, 2015	याचिकाकर्ता ने तत्काल हस्तांतरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया

	एनजीटी में याचिका दायर की गई लेकिन अदालत इच्छुक नहीं थी और याचिका के हस्तांतरण के लिए सहमत नहीं थी और याचिकाकर्ता स्थानांतरण के अपने आवेदन को वापस लेने के लिए विवश था।
04/11/15	स्थानांतरण के लिए उपरोक्त आवेदन पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपने दिनांक 04.11.2015 के आदेश द्वारा स्थानांतरण के आवेदन को वापस लेने के लिए विवश किया।

(23) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सुनील सिंह के मामले (उपरोक्त) में पारित आदेश को उच्चतम न्यायालय में दायर स्थानांतरण संलग्नक में रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था, हालांकि कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स एसोसिएशन के मामले (उपरोक्त) के मामले में पारित इसी तरह के आदेश को अनुबंध पी8 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया था।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पंजीकरण के समक्ष स्पष्ट किया गया था, हमारे समक्ष नहीं है।वास्तव में, हम इस न्यायालय की समन्वित पीठ के न्यायाधीशों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के बयान से बाध्य हैं, जो इस प्रभाव से है कि याचिका को वापस ले लिया गया था।विद्वान न्यायाधिकरण को मामलों के हस्तांतरण के लिए आवेदनों को खारिज करने का आदेश इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ (एस. के. मित्तल जे. और महावीर एस. चौहान जे.) द्वारा पारित किया गया था।वे दोनों अब इस न्यायालय में न्यायाधीश नहीं हैं।

(24) **महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक 1** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय अपने निर्णय में दर्ज न्यायाधीशों के बयान को प्रतिग्रहण करना करने के लिए बाध्य है, कि न्यायालय में क्या हुआ।यह न्यायाधीशों के बयान का बार में दिए गए बयानों या शपथ पत्र और अन्य साक्ष्यों द्वारा खंडन करने की अनुमति नहीं दे सकता है।यदि न्यायाधीश अपने निर्णय में कहते हैं कि उनके समक्ष कुछ किया गया था, कहा गया था या स्वीकार किया गया था, तो वह विषय पर अंतिम शब्द होना चाहिए।सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालत के फैसले में दर्ज सुनवाई में जो हुआ, उसके बारे में तथ्य के बयान इस तरह से बताए गए तथ्यों के निर्णायक हैं और कोई भी शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा ऐसे बयानों का खंडन नहीं कर सकता है।यदि कोई पक्ष यह सोचता है कि न्यायालय में घटित घटनाओं को किसी निर्णय में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, तो यह पक्षकार का दायित्व है, जबकि मामला न्यायाधीशों के दिमाग में अभी भी ताजा है, कि वह उन न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित करे जिन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि उनके आचरण के संबंध में दिया गया बयान एक ऐसा बयान था जो गलती से दिया गया था।रिकॉर्ड को ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है।यदि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो मामला होना चाहिए। वहाँ अवश्य समाप्त करें।यह आगे कहा गया कि निश्चित रूप से एक पक्ष फिर से दायर कर सकता है और एक अपील न्यायालय दुर्लभ और उपयुक्त मामलों में उसे इस आधार पर रियायत से वापस लेने की अनुमति दे सकता है कि रियायत कानून के गलत मूल्यांकन पर दी गई थी और इससे घोर अन्याय हुआ था; लेकिन, वह निर्णय में दर्ज रियायत देने के तथ्य पर सवाल नहीं उठा सकता है।

(25) माननीय सर्वोच्च न्यायालय **बंदोबस्ती आयुक्त और अन्य बनाम विट्ठल राव और अन्य 2** ने दोहराया कि निर्णय में अभिलिखित तथ्य का कथन इस प्रकार बताए गए तथ्यों का निर्णायक है और शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा इसका खंडन नहीं किया जा सकता है।जिस पक्ष को लगता है कि निर्णय में एक तथ्य गलत तरीके से दर्ज किया गया था, उसे उक्त तथ्य पर तुरंत बयान दर्ज करने वाले न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जबकि मामला अभी भी उनके दिमाग में ताजा था और सुधार की मांग करनी चाहिए।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि कभी-कभी दुर्लभ और उपयुक्त मामलों में किसी पक्ष को इस आधार पर रियायत से छूट लेने की अनुमति दी जा सकती है कि रियायत कानून के गलत मूल्यांकन पर दी गई थी और इससे घोर अन्याय हुआ था, लेकिन वह फैसले में दर्ज रियायत देने के तथ्य पर सवाल नहीं उठा सकता है।

(26) इसलिए, हम इस तथ्य को प्रतिग्रहण करना करने के लिए बाध्य हैं जैसा कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 04.11.2015 पर दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता ने दोनों मामलों के हस्तांतरण के लिए आवेदन वापस ले लिए थे और यह बिना किसी बाधा के था।तथ्य यह है कि भले ही यह लिया जाए कि पीठ मामलों को विद्वत न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के अनुरोध को प्रतिग्रहण करना करने के लिए इच्छुक नहीं थी

1 ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1249 616

2 (2005) 4 एस. सी. सी. 120

और इसलिए, याचिकाकर्ता को अपने दिनांकित आदेश द्वारा स्थानांतरण के आवेदन को वापस लेने के लिए विवश किया गया था, यह उचित और उचित होता कि सुनील सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत द्वारा पारित आदेश को कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले (ऊपर) के संबंधित मामले में पारित समान या समान आदेश के बजाय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर स्थानांतरण याचिका में रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए था।इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश में याचिकाकर्ता-सुनील सिंह की याचिका को वापस लेने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था, जिसमें याचिकाकर्ता को उचित निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी।स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था जैसा कि अनुरोध किया गया था।इसका किसी भी तरह से यह मतलब नहीं था कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित आदेश किसी भी तरह से निष्क्रिय हो गया था।अन्यथा भी, यदि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में लंबित मामलों को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने की मांग करनी थी पहले के आवेदनों को 04.11.2015 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज किए जाने के बावजूद, यह उचित होता कि एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया होता, बजाय इसके कि किसी ऐसे मुद्दे पर मामलों के हस्तांतरण के लिए नागरिक विविध आवेदन फिर से दायर किए जाते, जिसे पहले ही वापस ले लिया गया था और इसलिए, इसे परित्यक्त माना जाता है।

(27) अन्य याचिका कि वर्तमान मामलों में शामिल पहलुओं पर गौर करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया है और यह उपचार प्रदान करता है, इसलिए, मामले विद्वान न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और मामलों को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए दूसरे आवेदनों के मनोरंजन पर विचार किया जा सकता है।

(28) रेज़ जुडिकाटा का सिद्धांत, जिसे आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सी. पी. सी. की खंड 11 में संहिताबद्ध किया गया है और रचनात्मक रेज़ जुडिकाटा का नियम सी. पी. सी. की खंड 11 के स्पष्टीकरण IV में है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई भी मुकदमा जिसे ऐसे पूर्व मुकदमे में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और जिसे बनाया जाना चाहिए था, तो यह माना जाएगा कि वह ऐसे मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से मुद्दा था।

(29) इस संबंध में **द वर्कमेन ऑफ कोचीन पोर्ट ट्रस्ट बनाम द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और अन्य 3** मामले में फैसले पर भरोसा किया गया है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया कि रचनात्मक न्यायपालिका या न्यायपालिका के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए मामले के गुण-दोष पर निर्णय होना चाहिए ताकि पक्षों के अधिकारों का निर्धारण किया जा सके और आवेदन को वापस लेना न्यायपालिका या रचनात्मक न्यायपालिका के रूप में काम नहीं

करेगा।रिलायंस को **दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4** पर भी रखा गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका गुड़गांव और उसके आसपास निरंतर पर्यावरणीय क्षरण से संबंधित जटिल मुद्दों के बारे में बहुत गंभीर चिंताओं को उठाती है और जिस तरह से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा

3 ए. आई. आर 1978 एस. सी. 1283

4 ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1957 618

दायर एक आवेदन पर ईसीसी को मंजूरी दी गई थी, दस में से नौ इमारतों में जो पहले ही बनाई जा चुकी थीं और आवेदक ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था।इसके अलावा, ई. सी. सी. का अनुदान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सी. जी. डब्ल्यू. ए.) और राज्य सरकार आदि जैसे पर्यावरण के प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी वाले अधिकारियों के प्रबंधन और कामकाज के संबंध में कई अन्य चिंताओं को जन्म देता है जो स्पष्ट रूप से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं और अपने जनादेश के साथ क्रॉस पर्पस पर हैं, जिससे पर्यावरण को अपरिवर्तनीय नुकसान हो रहा है। **वी. पुरुषोत्तम राव बनाम भारत संघ 5** पर भरोसा रखा गया है, इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि मामलों को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(30) यह विवाद में नहीं है कि इस न्यायालय से विद्वान न्यायाधिकरण में मामले को स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता सुनील सिंह द्वारा दायर 2015 के पहले के सिविल विविध आवेदन, यानी सी. एम. No.12053 को 04.11.2015 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

(31) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. के प्रावधान दावे के हिस्से के त्याग से संबंधित हैं।यह प्रावधान किया गया है कि जहां कोई अभियोक्ता अपने दावे के किसी भी हिस्से के संबंध में मुकदमा करने से चूक जाता है, या जानबूझकर त्याग देता है, तो वह बाद में इस तरह से छोड़े गए या छोड़े गए हिस्से के संबंध में मुकदमा नहीं करेगा।खंड 141 सी. पी. सी. 'विविध कार्यवाहियों' से संबंधित है।यह प्रावधान किया गया है कि मुकदमे के संबंध में इस संहिता (सी. पी. सी.) में प्रदान की गई प्रक्रिया का, जहां तक इसे लागू किया जा सकता है, सिविल अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय की सभी कार्यवाहियों में मुकदमा किया जाएगा।स्पष्टीकरण के संदर्भ में, यह प्रावधान किया गया है कि इस खंड (यानी खंड 141) में, "कार्यवाही" अभिव्यक्ति में आदेश IX के तहत कार्यवाही शामिल है, लेकिन इसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई कार्यवाही शामिल नहीं है।

(32) वर्तमान कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है।इसलिए, इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या सी. पी. सी. की खंड 141 के साथ पठित आदेश II नियम 2 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही पर लागू होगा।इस संबंध में रिट अधिकार क्षेत्र नियमों के नियम 32 में परिवर्तन किया जा सकता है, जो निम्नानुसार हैः

"32. उन सभी मामलों में जिनके लिए इन नियमों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान उत्परिवर्तन लागू होंगे, जहां तक वे इन नियमों के साथ असंगत नहीं हैं।"

(33) उपरोक्त नियम 32 के संदर्भ में, उन सभी मामलों में जिनके लिए रिट अधिकार क्षेत्र नियमों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सी. पी. सी. का प्रावधान उत्परिवर्तन को लागू करने के लिए है क्योंकि वे उक्त

5 (2001) 10 एस. सी. सी. 305

नियमों के लिए असंगत नहीं हैं।मुकदमों और आवेदनों को वापस लेने के संबंध में, रिट अधिकार क्षेत्र नियमों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(34) वी. पुरुषोत्तम राव बनाम भारत संघ (उपरोक्त) में, जिसे आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित किया गया है, रिपोर्ट के पैरा 19 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः

"19. दूसरे प्रश्न पर आते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 11 का स्पष्टीकरण IV यह अभिनिर्धारित करता है कि कोई भी मुकदमा जिसे ऐसे पूर्व मुकदमे में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और जिसे बनाया जाना चाहिए था, उसे ऐसे मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से मुद्दा माना जाएगा।सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 में प्रावधान है कि प्रत्येक वाद में वह पूरा दावा शामिल होगा जो अभियोक्ता वाद हेतुक संबंध में करने का हकदार है और यदि वह अपने दावे के किसी भी हिस्से के संबंध में मुकदमा करने में चूक करता है, या जानबूझकर त्याग देता है, तो वह बाद में उस हिस्से के संबंध में मुकदमा नहीं करेगा, जिसे इस तरह से छोड़ दिया गया है या त्याग दिया गया है।सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 141 के स्पष्टीकरण के आधार पर, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनिश्चित कार्यवाही को "कार्यवाही" अभिव्यक्ति से बाहर रखा गया है, इसलिए, अनुच्छेद 226 के तहत किसी कार्यवाही में सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उच्च न्यायालय ने स्वयं अनुच्छेद 226 के तहत किसी कार्यवाही के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू नहीं किया है।फिर, खंड 11 के साथ-साथ आदेश 2 नियम 2 के सिद्धांत, निस्संदेह मुकदमेबाजी की एक प्रतिकूल प्रणाली पर विचार करते हैं, जहां न्यायालय पक्षों के अधिकारों का निर्णय करता है और किसी दिए गए मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को निर्धारित करता है।जनहित याचिका या जनहित के लिए दायर याचिका को निर्णय की एक प्रतिकूल प्रणाली नहीं माना जा सकता है और ऐसे मामले में याचिकाकर्ता केवल इसे न्यायालय के ध्यान में लाता है कि अधिकारियों की मनमाने और मनमौजी कार्रवाई से सार्वजनिक हित को कैसे और किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है।"

(35) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि सी. पी. सी. की खंड 141 के स्पष्टीकरण के आधार पर चूंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही को "कार्यवाही" अभिव्यक्ति से बाहर रखा गया है, इसलिए सी. पी. सी. को अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में तब तक पालन करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उच्च न्यायालय ने स्वयं अनुच्छेद 226 के तहत सी. पी. सी. का प्रावधान लागू नहीं किया हो।वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने सी. पी. सी. की कार्यवाही को रिट अधिकार क्षेत्र नियमों के नियम 32 के संदर्भ में लागू किया है।इसलिए, यदि आवेदकों/याचिकाकर्ताओं ने पहले अपने आवेदन वापस लेकर मामलों को विद्वत न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के अपने दावे को छोड़ दिया था, तो एक समन्वित पीठ द्वारा आवेदन वापस लेने के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करने के बाद वे इसे दोहराने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और जनहित याचिका (पी. आई. एल.) में विचार किया जाना है जो लंबित है।यह तथ्य कि पहले दावे को छोड़ने का सिद्धांत जनहित याचिका या जनहित के लिए दायर याचिका के संबंध में लागू नहीं होता है, जो कि निर्णय की प्रतिकूल प्रणाली नहीं है, अप्रासंगिक है क्योंकि पहले के आवेदन को केवल एक जनहित याचिका में एक समन्वित पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।(36) मामले में, द वर्कमेन ऑफ कोचीन पोर्ट ट्रस्ट बनाम द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और एक अन्य (ऊपर), यह कहा गया था कि यह सर्वविदित है कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत खंड 11 सी. पी. सी. में संहिताबद्ध है लेकिन यह संपूर्ण नहीं है।खंड 11 आम तौर पर दीवानी मुकदमों के संबंध में लागू होती है।लेकिन संहिताबद्ध कानून के अलावा, रेस जुडिकाटा का सिद्धांत या रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लंबे समय से इंग्लैंड, भारत और अन्य देशों के न्यायालयों द्वारा विभिन्न अन्य प्रकार की कार्यवाही और स्थितियों में लागू किया गया है।यह कहा गया था कि रचनात्मक न्यायपालिका का नियम, खंड 11 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण IV में अंकित है और कई अन्य स्थितियों में भी न केवल प्रत्यक्ष न्यायपालिका बल्कि रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों को भी लागू किया जाता है।यदि किसी भी निर्णय या आदेश द्वारा मुद्दे में किसी भी मामले का प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया है, तो निर्णय न्यायिक आधार पर काम करता है और उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में एक समान मुद्दे के मुकदमे को रोकता है।रेज़ जुडिकाटा का सिद्धांत तब भी लागू होता है जब निर्णय और आदेश द्वारा किसी विशेष मुद्दे का निर्णय उसमें निहित होता है, अर्थात, इसे अनिवार्य रूप से निहितार्थ द्वारा तय किया गया माना जाना चाहिए; फिर उस मुद्दे पर रेज़ जुडिकाटा का सिद्धांत भी सीधे लागू होता है।जब कोई ऐसा मामला जिसे पूर्ववर्ती कार्यवाही में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और जिसे बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था, तो कानून की नजर में ऐसा मामला, मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने और उसमें अंतिमता लाने के लिए, रचनात्मक रूप से जारी किया गया माना जाता है और इसलिए, निर्णय के रूप में लिया जाता है।

(37) उक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है, हालाँकि, इस न्यायालय ने सी. पी. सी. की कार्यवाही को रिट अधिकार क्षेत्र नियमों के नियम 32 के संदर्भ में लागू किया है।इसके अलावा, मामलों को विद्वान न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए एक समान अनुरोध किया गया था जिसे वापस ले लिया गया था।इसलिए, केवल इसलिए इसी तरह की प्रार्थना को फिर से करने की अनुमति देना अविवेकी और अनुचित होगा क्योंकि पहले दायर किए गए आवेदनों को इस न्यायालय से वापस ले लिया गया था और खारिज कर दिया गया था; इसके अलावा, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी वापस ले लिया गया था।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता-सुनील सिंह ने उचित निवारण के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी।तदनुसार स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। उचित निवारण के लिए इस न्यायालय से संपर्क करना था जिसका अर्थ केवल कानून के अनुसार निवारण हो सकता है और न कि किसी दावे का आग्रह करना या ऐसी प्रार्थना करना जो पहले ही की जा चुकी हो और वापस ले ली गई हो।

(38) दरियाव बनाम यू. पी. राज्य (ऊपर) में, यह कहा गया था कि यह तर्क कि न्यायिक व्यवस्था एक तकनीकी नियम है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं से निपटने में अप्रासंगिक है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह कहा गया था कि सी. पी. सी. की खंड 11 में बताए गए न्यायिक नियम में कोई संदेह नहीं है कि कुछ तकनीकी पहलू हैं, उदाहरण के लिए रचनात्मक न्यायिक नियम को तकनीकी कहा जा सकता है; लेकिन जिस आधार पर उक्त नियम आधारित है वह सार्वजनिक नीति के विचारों पर आधारित है।यह कहा गया था कि यह बड़े पैमाने पर जनता के हित में है कि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाए गए बाध्यकारी निर्णयों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, और यह जनहित में भी है कि व्यक्तियों को एक ही तरह के मुकदमे से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए।यदि ये दोनों सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया के सामान्य नियम की नींव बनाते हैं तो उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं में मूल अधिकार से निपटने में भी अप्रासंगिक या अस्वीकार्य नहीं माना जा सकता है।यह भी कहा गया कि न्यायपालिका के नियम के लागू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस निर्णय पर न्यायपालिका की याचिका उठाई जाती है, वह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय का निर्णय है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि एक रिट याचिका को लिमिनि में खारिज कर दिया जाता है और उस ओर से एक आदेश सुनाया जाता है, तो बर्खास्तगी एक बार का गठन करेगी या नहीं, यह आदेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा।यदि आदेश गुण-दोष पर है, तो यह एक प्रतिबंध होगा; यदि आदेश से पता चलता है कि बर्खास्तगी इस कारण से थी कि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था या उसके पास कोई वैकल्पिक उपाय था, तो यह एक प्रतिबंध नहीं होगा।(39) आवेदकों/याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी रिट याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बाद की याचिका के लिए बाधा नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

(40) उक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है।वर्तमान मामले में, मामलों को विद्वत न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने से इनकार करने का आदेश स्वीकार्य रूप से एक बोलने वाला आदेश नहीं है, बल्कि यह मामलों के हस्तांतरण के लिए आवेदनों को वापस लेने का आदेश है।इसलिए, योग्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।हालाँकि, जैसा कि पहले ही देखा गया है, यह उन मामलों के हस्तांतरण के लिए याचिका को परित्यागने या परित्यागने के बराबर होगा, जिन्हें एक बार परित्याग दिए जाने या परित्याग दिए जाने के बाद फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है या किसी भी मामले में केवल एक और आवेदन दायर करके हल्के से फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब इसे 622 के रूप में भी खारिज कर दिया गया हो। माननीय उच्चतम न्यायालय से वापस ले लिया गया।मामलों के हस्तांतरण के लिए आवेदनों को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था और इन्हें किसी भी तकनीकी आधार जैसे कि लाचे आदि पर वापस नहीं लिया गया था। बल्कि इन्हें बिना शर्त वापस ले लिया गया।इसलिए, याचिकाकर्ता को उसी राहत के लिए मामले को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(41) जिन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि विद्वत न्यायाधिकरण को मामलों के हस्तांतरण के लिए आवेदनों को पहले एक समन्वित पीठ द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था, उन्हें फिर से सक्रिय नहीं किया जा सकता है,

विशेष रूप से जब प्रतिवादी ने इस पर गंभीरता से आपत्ति जताई है और अनुरोध किया है कि पहले आवेदन को खारिज करने के बाद दूसरे आवेदन की रखरखाव पर रोक है।इसलिए, हम आवेदनों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(42) इस आदेश की एक फोटोकॉपी अन्य जुड़े मामले की फाइल पर रखी जानी चाहिए।

पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा